संख्या: 14/2019/194/छप्पन-2019-100/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2019

विषय: बरेली में सिविल एंक्लेव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 579/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 22 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें बरेली एयरपोर्ट पर विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं दूरसंचार व इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु उपलब्ध कराए गए आगणनों की कुल धनराशि रु0 81,44,355/- (रूपए इक्यासी लाख चौबालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल बरेली एयरपोर्ट पर विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं दूरसंचार व इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु उपलब्ध कराए गए आगणनों की कुल धनराशि रु0 81,44,355/- (रूपए इक्यासी लाख चौबालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस कार्य पर रु0 81,44,355/- (रूपए इक्यासी लाख चौबालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|
II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है|
III. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा|
IV. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

V. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो | अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पी०एफ़०ए०डी० की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन हो |

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 81,44,355/- (रूपए इक्यासी लाख चौबालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, बरेली के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को यथासमय आख्या उपलब्ध कराई जायेगी |

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 2(1) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं |

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्याः 14/2019/194(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, बरेली।
(4) जिलाधिकारी, बरेली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ नियोजन अनुभाग-4/ राजस्व अनुभाग-13
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।